उ.प्र.आवास एवं विकास परिषद की दिनांक १६.३.२००० को सम्पन्न हुई १७६वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक १६.३.२००० को बैठक प्रारम्भ हुयी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:–

१.	श्री महेश दत्त शर्मा	अध्यक्ष
२.	श्री एन. रवि शंकर	सदस्य
३.	श्री रामवृक्ष प्रसाद प्रतिनिधि सचिव आवास, उ.प्र.शासन	सदस्य
४.	श्री आर. के. खन्ना, सचिव व्यवस्था जल निगम प्रतिनिधि प्रबंध निदेशक, उ.प्र.जल निगम	सदस्य
५.	श्री एम.पी.अनेजा, मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक उत्तर प्रदेश	सदस्य
६.	श्री नरेन्द्र वर्मा, उप निदेशक प्रतिनिधि निदेशक, सी.बी.आर.आई, रूड़की	सदस्य
७.	श्री एस.के.वर्मा, मुख्य अभियंता, उ.प्र.आवास विकास परिषद	सदस्य

विशेष आमंत्री के रूप में:–

१.	श्री सुबोध शंकर, मुख्य वास्तुविद नियोजक उ.प्र.आवास विकास परिषद	सदस्य
२.	श्री कृष्णाकर त्रिपाठी, वित्त नियंत्रक उ.प्र.आवास विकास परिषद	सदस्य

महेशदत्त शर्मा
18/3/2000

बैठक में विचार विमर्श के उपरांत सर्व सम्मति से निम्नवत निर्णय लिये गये:-

क्रमांक	विषय	निर्णय
१	२	३
१-	परिषद की १७५वी बैठक दिनांक ४.१२.९९ की कार्यवृत्त की पुष्टि ।	कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।
२-	परिषद की १७५वी बैठक दिनांक ४.१२.९९ की अनुपालन आख्या ।	अवलोकित ।
३-	गत दो वर्षो की बैठकों में लिये गये ऐसे निर्णयों की सूची जिनके अनुपालन अभी तक अपूर्ण है ।	निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष (म०) एवं आवास आयुक्त द्वारा पृथक से समीक्षा कर ली जाये ।
४-	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद के कार्य-कलापों की माह जनवरी, २००० तक की अध्यावधि प्रगति रिपोर्ट ।	अवलोकित
५-	वित्तीय वर्ष १९९९-२००० के पुनरीक्षित एवं वर्ष २०००-२००१ प्रस्तावित आय-व्ययक के ब्योरेवार आय-व्यय अनुमान ।	अनुमोदित
६-	वर्ष १९९६-९७ की बैलेन्स शीट हेतु परिषद की व्याख्यात्मक टिप्पणी ।	अनुमोदित ।
७-	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा नगर के इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के प्रति योगदान सुनिश्चित करने हेतु आवासीय इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में ।	इस संशोधन के साथ अनुमोदित कि इस धनराशि का प्रयोग आवास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा चयनित योजनाओं में किया जायेगा।
८-	उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद के कर्मियों को किसी एक राष्ट्रीयकृत बैंक से कम्प्यूटर क्रय हेतु ऋण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।

18/3/2000

Vkv.

९-	इन्दिरा नगर विस्तार योजना लखनऊ अन्तर्गत ग्राम इस्माइलगंज के खसरा संख्या ८६ की भूमि के सम्बन्ध में ।	अवलोकित ।
१०-	अमरोहा योजना संख्या-१ के खसरा संख्या ३६७६ की भूमि असुधार शुल्क व वर्तमान दर पर आवंटित करने के सम्बन्ध में ।	अवलोकित ।
११-	वृन्दावन योजना संख्या-१ में सैनिकों के भवन ध्वस्तीरण कराये जाने के फलस्वरुप रियायती दरों पर भूखण्ड दिये जाने के सम्बन्ध में ।	सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि वर्णित परिस्थितियों में कार्यरत/सेवा निवृत्त सैनिकों के लिये उनके अनुरोध पर बी०आर०डी० भवन/प्रस्ताव अनुसार भूखण्ड ५०प्रतिशत मूल्य पर आवंटित कर दिया जाय।
१२-	जी०टी० रोड बाईपास भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, वाराणसी का धारा-२८ हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन ।	सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्णय लिया गया कि नक्शा सहित पूर्ण विवरण मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक को विस्तृत अध्ययन हेतु प्रेषित कर अभिमत प्राप्त कर लिया जाये तथा तदनुसार कार्यवाही की जाय।
१३-	इलाहाबाद जौनपुर मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, जौनपुर का धारा-२८ हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन ।	सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्णय लिया गया कि नक्शा सहित पूर्ण विवरण मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक को विस्तृत अध्ययन हेतु प्रेषित कर अभिमत प्राप्त कर लिया जाये तथा तदनुसार कार्यवाही की जाय।
१४-	परिषद के अवलोकनार्थ टिप्पणियों की सूची ।	अवलोकित ।
१५-	सिकन्दरा योजना आगरा के विकास कार्यो की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।	इस Observation के साथ अनुमोदित कि भविष्य में योजनाओं से सम्बन्धित Detailed प्रस्ताव प्रारम्भ से ही बना लिये जायें ।

Vkv.

NRS

18/3/2000

१६-	बढ़पुर योजना संख्या-१, फतेहगढ़ के विकास कार्यों की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	इस Observation के साथ अनुमोदित कि भविष्य में योजनाओ से सम्बन्धित Detailed प्रस्ताव प्रारम्भ से ही बना लिये जाये ।
१७-	वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के सेक्टर-३ में आंशिक स्वयं वित्त पोषित हडको ऋण परियोजना के अन्तर्गत १३७/१२३ प्रकार के १६९ सेमी फिनिश्ड व १९ फिनिश्ड ड्यूप्लेक्स भवनों के निर्माण से सम्बन्धित पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
१८-	वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के सेक्टर-४ में वार्तालोक सहकारी आवास समिति लिमिटेड के लिये डिपाजिट कार्य के रुप में एफ-७६ प्रकार के ६४ नग एवं एफ-६० प्रकार के ११२ नग चार मंजिले फ्लैट से सम्बन्धित उपलब्ध प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
१९-	भारतीय रेल कल्याण संस्था को परिषद की वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के सेक्टर-३ में पूर्व आवंटित ५ एकड़ भूमि की दर पर २ एकड़ अतिरिक्त भूमि आवंटित किये जाने के संबंध में।	सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि संस्था को २ एकड़ अतिरिक्त भूमि आवंटित किये जाने का औचित्य नही है। अत: प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया ।
२०-	परिषद अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा गठित विभिन्न सेवा संघों पर उत्तर प्रदेश (सेवा संघों को मान्यता) नियमावली-१९७९ लागू किये जाने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
२१-	निर्माण खण्ड-१३ लखनऊ में कार्यरत तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता श्री ओ०पी० सिंघल (सम्प्रति अधीक्षण अभियन्ता,द्वितीय वृत्त मेरठ) के विरुद्व ६५२२८.०० मूल्य के बिटुमिन से सम्बन्धित आर्थिक क्षति के जांच के सम्बन्ध में ।	विचार स्थगित किया गया ।

Vkv.

18/3/2000

२२-	सहायक अभियन्ता, विद्युत को हृदय रोग के आपरेशन हेतु रु० १.२५ लाख स्वीकृत करने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
२३-	परिषद कर्मियों को शासनादेशानुसार अवकाश लेखे में उपार्जित अवकाश जमा करने की अधिकतम सीमा वृद्धि एवं यात्रा-भत्ता की पुनरीक्षित दरों पर भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित ।
२४-	लेखपाल/ सर्वेयर संवर्ग के सेवा विनियमावली की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
२५-	पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू किये जाने के फलस्वरुप परिषद अधिकारियों/ कर्मचारियों को १ जनवरी-१९९६ से ३१ दिसम्बर-१९९८ तक देय पुनरीक्षित वेतन के एरियर को वर्तमान वित्तीय वर्ष में भुगतान किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में परिषद के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली व्याख्यात्मक टिप्पणी	सम्यक विचारोपरांत प्रस्ताव संस्तुति सहित शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लियागया।
२६-	कार्यप्रभारित अधिष्ठान कर्मचारियों के वेतन का भुगतान परियोजना मद से न करके अधिष्ठान मद से किये जाने के सम्बन्ध में ।	सम्यक विचारोपरांत प्रस्ताव औचित्यपूर्ण न होने के कारण अस्वीकृत किया गया ।
२७-	स्वागत अधिकारी संवर्ग के सेवा विनियम बनाये जाने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
२८-	परिषद वाहन चालक संवर्ग के सेवा विनियमावली की स्वीकृति के संबंध में ।	अनुमोदित ।
२९-	१० वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण हो जाने के उपरांत चतुर्थ श्रेणी के पद पर विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में ।	प्रकरण पूर्व में शासन को संदर्भित किया गया है।सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि शासन के निर्णय की प्रतीक्षा की जाये ।

Vkv

NN

19/3/2011

३०-	परिषद के सर्वेयर पद को सेलेक्शन ग्रेड/प्रोन्नति वेतनमान की सुविधा अनुमन्य किये जाने के संबंध में।	अनुमोदित ।
३१-	वरिष्ठ तकनीकी सहायक/तकनीकी सहायक संवर्ग के सेवा विनियम बनाये जाने के संबंध में।	अनुमोदित ।
३२-	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद सहायक अभियन्ता सेवा विनियमावली- १९७३ (यथा संशोधित) में संशोधन के सम्बन्ध में ।	विचार स्थगित किया गया ।
३३-	परिषद द्वारा संचालित वृन्दावन योजना लखनऊ में कारगिल युद्ध में शहीद सैनिकों के आश्रितों को ५० प्रतिशत की दर पर आवासीय भूखण्ड आवंटन के सम्बन्ध में ।	इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदित कि इसी आधार पर इस प्रकार की सुविधा अन्यत्र प्राप्त न की गयी हो ।
३४-	परिषद की योजनाओं में विद्यालयों/शैक्षिक संस्थाओं को खेलकूद मैदान के लिये रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराने जाने के सम्बन्ध में ।	विचार स्थगित किया गया ।
३५-	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा विकसित/निर्मित आवासीय एवं व्यवसायिक भूखण्डो/भवनो के आवंट/नीलामी में समाज के वृद्धजनो को आरक्षण के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
३६-	मझोला भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-४ भाग-२ (विस्तार) दिल्ली रोड़ मुरादाबाद की धारा-२८ हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन ।	सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्णय लिया गया कि नक्शा सहित पूर्ण विवरण मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक को विस्तृत अध्ययन हेतु प्रेषित कर अभिमत प्राप्त कर लिया जाये तथा तदनुसार कार्यवाही की जाय।

VKV.

NR

18/3/2000

३७-	मंगल पाण्डे नगर योजना संख्या-१, मेरठ में समाविष्ट नजूल भूमि खसरा संख्या- ५७५१ में १००० वर्ग मीटर भूमि पत्रकार भवन को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।	संस्तुति सहित शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया ।
३८-	चि.कत्सा व्यय प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के संबंध में ।	अनुमोदित ।
३९-	श्रीमती निर्मला सिंह पत्नी स्वर्गीय श्री सच्चिदानन्द, भूतपूर्व मस्टर रोल श्रमिक को मृतक आश्रित के रुप में सेवा योजित किये जाने के सम्बन्ध में ।	अस्वीकृत ।
४०-	ट्रान्स यमुना योजना प्रथम चरण आगरा में लिटिल एंजिल स्कूल हेतु आवंटित क्षेत्रफल ३२४९ वर्गमीटर के अतिरिक्त शेष भू-भाग आवंटन के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि आवंटन की तिथि की भूमि दर ली जाय । अन्य बिन्दुओं पर आवास आयुक्त को निर्णय लेने के लिये अधिकृत किया गया ।
४१-	परिषद की योजनाओं में सामुदायिक केन्द्र/ बारात घर के भूखण्ड को प्राइवेट सेक्टर को भी आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
४२-	इन्दिरा नगर योजना देहरादून में स्थित भूखण्ड संख्या-३ के साथ संलग्न भूमि को गार्डन लीज पर आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में ।	विचार स्थगित किया गया ।
४३-	फिल्म उद्योग को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु प्रदेश की घोषित फिल्म नीति १९९९ का क्रियान्वयन किये जाने के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि उक्त शासनादेश के प्राविधान नवीन योजनाओं पर प्रभावी होगें पुरानी योजनाओं में पूर्व व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जाय ।
४४-	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद भवन निर्माण एवं विकास उपविधि १९९९ (आदर्श प्रारुप) को परिषद उपविधियों में समाविष्ट कर लागू कराये जाने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।

18/3/2000

Vkv.

४५-	परि द योजनाओं में व्यवसायिक भूखण्डों का मूल्य तर्कसंगत आधार पर तय करने के सिंद्वात हेतु परिषद के लिये व्याख्यात्मक टिप्पणी ।	निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कर लिया जाए ।
४६-	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की वसुन्धरा योजना संख्या-३, गाजियाबाद में प्रतिकर वृद्वि हेतु किसानों द्वारा किये जा रहे आन्दोलन के परिपेक्ष्य में न्यायालय के बाहर समझौता (OUT OF COURT SETTLEMENT) के सम्बन्ध में ।	अवलोकित ।

पुष्टि की गयी

महेशचन्द्र शर्मा

अध्यक्ष